मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

विशेष सूचना

समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के आधार नम्बर का ऑथन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवदेन करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सब्मिट किए जाने की व्यवस्था की गई है। विवरण निम्नवत् हैः-

1. *सभी छात्र/छात्राओं के पास आधार नम्बर होना आनिवार्य है, जिन छात्रों का आधार कार्ड नही बना है उन्हे प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।*
2. *जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, तत्क्रम में आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें।*
3. *हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता/पिता के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड अपडेट कराना सुनिश्चित करें।*
4. *हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को भी आधार कार्ड में अपडेट करा लें।*
5. *आधार कार्ड में लिंग (जेन्डर) गलत है तो उसको शुद्ध कराना भी अनिवार्य है।*

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। ***सत्र 2020-21 में छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, माता/पिता का नाम व जेन्डर तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जाएगा, उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के पश्चात ही आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा।***

नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/छात्रवृत्ति/451/2020 दिनांकः 07 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. कुलससचिव।
3. वेबमास्टर को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति

ई–मेल/अनुस्मारक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

संख्या– C-4630 / स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 96 / 2019–20

लखनऊः दिनांकः 3 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2020

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश। (लखनऊ)

विषय–:छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्रांक सी0–487 दिनांक 16–05–2019, पत्रांक सी0–580 दिनांक 23–05–2019 एवं पत्रांक 3460–62 दिनांक 13–12–2019 का संदर्भ ग्रहण करें। भारत सरकार/राज्य सराकर द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन मिलान किया जायेगा। यदि उक्त डाटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता–पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सब्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया में छात्र द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है :–

1– सभी छात्रों के पास आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।

2– जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। तत्क्रम में आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें।

3196
DSWO 15/2/2020

3– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता–पिता/पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लें।

4– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।

5– आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लें।

अवगत कराना है कि यदि कोई छात्र अपना आधार अपडेट नहीं कराता है तो आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा, जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अपने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय समाचार पत्रों, पम्पलेट तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।

Bal Kr

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक